संख्या-158/2026/I/1258302/2026/001-CN-1680007-6-7099-914-2022

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 06-03-2026

विषय:- जनपद औरैया के रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-2482-01(III), दिनांक 11.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद औरैया के रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु कोषागार औरेया द्वारा अधिक भुगतान की गयी धनराशि रू0 3,76,612.00 को समायोजित करने व 02 कृषको समीर चतुर्वेदी व रेखा चतुर्वेदी की भुगतान की जाने वाली धनराशि रू0 2,85,600.00 कुल धनराशि 6,62,212.00 रूपये मात्र आवंटित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रू0 6,62,212/-(रुपये छह लाख बासठ हजार दो सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धोः-</u>

(1) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा मानक के अनुसार भूमि के क्रय एवं निबन्धन शुल्क की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेगें।

(2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(3) समस्त वित्तीय नियमों, वित्तीय हस्तिपुस्तिकाओं को संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि स्वीकृत करने का दायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा।

(4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सुसंगत शासनादेशों/नियमो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि अवमुक्त की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता /आडिट आपत्ति के लिए उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे।

(5) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप 27.03.2025 मे निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

(9) शासनादेश संख्या-338/2023/I/2820805/2023/002-CN-1637500-6-7099-270-2022, दिनांक 25.02.2023 की शर्तो एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,62,212 (रुपये छह लाख बासठ हजार दो सौ बारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002111300 नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण हेतु भूमि क्रय मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-542-X-2025-26-दिनांक: 06-03-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अन्नावि दिनेशकुमार

विशेष सचिव।

संख्या-158/2026/I/1258302/2026/001-CN-1680007-6-7099-914-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
7. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
8. संबंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
11. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

दीपक पटेल

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।